RM NO. 614/16-17

08.05.17

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अंचल अधिकारी, मुरहू, के पत्रांक 355 दिनांक 05.05.17 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जांच प्रतिवेदन के अनुसार भूमि विक्री की अनुशंसा की गई है। क्रेता एवं विक्रेता के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। भूमि विक्री की अनुमति दी जाती है।

आदेश

आवेदक श्री कोले तिडू पिता स्व0 घसिया तिडू ग्राम कुंजला, थाना मुरहू, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने श्रीमती बिरंग देवी पति श्री बुधुवा सोय मुरूम ग्राम पोकला, थाना मुरहू, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
कुंजला	249	47	148	0.08

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 355 दिनांक 05.05.17 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत का नाम मानसिंह मुण्डा वगैरह है। पंजी II के अनुसार मानसिंह मुण्डा वगैरह के नाम रकवा 53.52 एकड़ भूमि है। आवेदक के पास रकवा 4.46 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012–13 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 9500.00(नौ हजार पाँच सौ)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 4.38 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री कोले तिडू पिता स्व0 घसिया तिडू को श्रीमती बिरंग देवी पति श्री बुधुवा सोय मुरूम के साथ ग्राम कुंजला के खाता सं0 47 खेसरा संख्या 148 का रकबा 0.08 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 9500.00(नौ हजार पाँच सौ)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

8.5.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

8.5.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।